

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/गुप-2/2020

जयपुर, दिनांक : 09.05.2021

आदेश

बाडमेर जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में कोरोना संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सात दिवस के लिए निम्नानुसार राज्य स्तरीय दल गठित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम व पद	आवंटित जिला
1	डा. सुवा लाल, एसएनओ ट्रेनिंग, मुख्यालय, जयपुर	बाडमेर
2	डा. पंकज सुथार, डब्ल्यू. एच. ओ. प्रतिनिधि	

उक्त राज्य स्तरीय दल जिला कलक्टर, बाडमेर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर से समन्वय स्थापित करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

उक्त अधिकारी आज ही संबंधित जिला कलक्टर को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे तथा अपने संबंधित जिले में कोविड-19 की स्थिति से प्रतिदिन राज्य सरकार को अवगत करायेंगे।

(अखिल अरोरा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. मिशन निदेशक, एन. एच. एम. को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त राज्य स्तरीय दल को एक वाहन उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
6. जिला कलक्टर, बाडमेर
7. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
8. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जोधपुर
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर
10. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ
11. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)

(संजय कुमार)

शासन उप सचिव